


4/1/23

पगावळी पेठे हुमी। प्रार्थी व वकील प्रार्थी  
अनुपस्थित। वार-वार आवाज लगावामी।  
आवाज लगावने के उपरान्त भी प्रार्थी की ओर  
ले कोई उपस्थित नहीं आया। अतः प्रार्थी  
का प्रार्थना पत्र अदालत हाजरी अदालत फौरन में  
स्वीकार किया जाता है। पगावळी केवल शुभ  
होम नाम के काम होम दस्ता करिखल है।

  
राजवीर सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)